

पत्रांक: 1265 / आर.जी.एम.-मैत्री / यू.पी.एल.डी.बी. / 2026-27 दिनांक: 09/10/2026 संलग्नक-
भारत सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत मैत्री
स्थापना हेतु चयनित मैत्री हेतु शपथ-पत्र रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित किया जाये
तथा नोटरी द्वारा सत्यापित करा कर संबंधित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में भौतिक सत्यापन के
दिन शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा

शपथ-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी ग्राम
ग्रामपंचायत..... विकास खण्ड..... जनपद..... उ०प्र०
पशुधन विकास परिषद गोकर्ननाथ रोड, वादशाहवाग, निकट पशु चिकित्सालय, लखनऊ के अन्तर्गत मैत्री (मल्टी
परपज ए.आई. टेक्निशियन इन रूरल इण्डिया) के रूप में प्रशिक्षित किये जाने हेतु नामित किया गया/की गयी हूँ।
मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैं ग्राम ग्राम पंचायत..... (स्थान), विकास खण्ड.....
जनपद..... का/की स्थायी निवासी हूँ। मैं समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुपालन के द्वार पर
कृत्रिम गर्भाधान तथा समय-समय पर पशुपालन विभाग/यू०पी०एल०डी०बी० द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करने के
लिए वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं यदि प्रशिक्षण के मध्य में बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षण छोड़ कर जाता/जाती हूँ तो मेरे प्रशिक्षण पर
व्यय की गई धनराशि रु० 23000.00 (रु० तेइस हजार मात्र) उ०प्र० पशुधन विकास परिषद को वापस करने के
लिए वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा राजस्व
वसूली की तरह वसूली की जाये।
3. यू०पी०एल०डी०बी०/पशुपालन विभाग द्वारा पशु प्रजनन कार्य हेतु (आर०जी०एम० के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा
निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुसार) कार्य सम्पादित करने हेतु जो भी उपकरण एवं साज सामान मुझे उपलब्ध
कराया जायेगा, मैं उनको संभाल कर रखूँगा/रखूँगी एवं इस सामान के रख-रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी
होगी। यह पशुपालन विभाग/यू०पी०एल०डी०बी० की सम्पत्ति होगी तथा शपथ-पत्र के बिन्दु-1 में उल्लिखित
कार्यों को संतोषजनक ढंग से सम्पादित न करने की अवस्था में पशुपालन विभाग/यू०पी०एल०डी०बी० को
समस्त उपकरण व साज-सामान सही हालत में लौटाने के लिये वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। अन्यथा की स्थिति में
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जिला प्रबन्धकद्वारा राजस्व वसूली की तरह वसूली की जाये।
4. यू०पी०एल०डी०बी०/पशुपालन विभागद्वारा समय-समय पर कृत्रिम गर्भाधान कार्य में प्रयुक्त अतिहिमीकृत वीर्य
स्ट्राज व तरल नत्रजन का मूल्य निर्धारित दर के अनुसार यू०पी०एल०डी०बी० को भुगतान करने हेतु वचनबद्ध
रहूँगा/रहूँगी।
5. मेरे द्वारा किये गये पशुपालन कार्यों की मासिक प्रगति सूचना निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से सम्बन्धित पशु
चिकित्साधिकारी एवं यू०पी०एल०डी०बी० को प्रतिमाह प्रेषित करने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
6. मैं केवल वही पशुपालन सम्बन्धी कार्य, जिसके लिए प्रशिक्षित (आर०जी०एम० के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा
निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुसार) तथा अधिकृत किया गया/गयी हूँ पशुपालन के द्वार पर उपलब्ध
कराउंगा/कराउंगी।
7. यू०पी०एल०डी०बी०/पशुपालन विभागद्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण/मूल्यांकन के समय स्वयं उपस्थित
रहकर कार्यों का निरीक्षण/मूल्यांकन कराने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
8. मैत्री समस्त कार्य संबंधित पशुचिकित्साधिकारी की देख-रेख में ही करने हेतु प्राधिकृत है।
9. यह योजना पूर्णतया स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है तथा मैं एक स्वरोजगारी के रूप में कार्य
करने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। अतः शासकीय सेवा में मुझे किसी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार
नहीं होगा तथा मैं इसके लिए कभी दावा नहीं करूँगा/करूँगी।
10. प्रशिक्षणोपरान्त मैं मैत्री के रूप में इस शपथ-पत्र में क्रम संख्या-1 से 8 तक वर्णित शर्तों पर कार्य
करूँगा/करूँगी। मैत्री प्रशिक्षण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के पूर्व कार्य बन्द
कर देने की अवस्था में प्रशिक्षण की अवधि में यू०पी०एल०डी०बी० द्वारा व्यय की गई धनराशि तथा समस्त
उपकरण सही अवस्था में वापस करने के लिये वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर शपथ गृहीता मैत्री

नाम :, पिता का नाम,
पता : ग्राम-....., पोस्ट-.....,
थाना-....., विकास खण्ड-.....,
जिला-....., पिन कोड-.....,
मो०नं०-....., ई-मेल आई.डी.-.....

नोटरी द्वारा सत्यापित


